भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2349

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

एफसीओ के अंतर्गत जैव उद्दीपक उत्पादों का पंजीकरण

2349. श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने दिनांक 23 फरवरी, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के अंतर्गत जैव उद्दीपक उत्पादों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एफसीओ में शामिल किए गए ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एफसीओ में ऐसे उत्पादों को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं और एफसीओ में जैव उद्दीपक उत्पादों को शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री **(**श्री रामनाथ ठाकुर**)**

(क) से (ग) : देश में जैव-उत्तेजकों (जैव उद्दीपक) को विनियमित करने के लिए, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 882 (अ), दिनांक 23 फरवरी, 2021 जारी की, जिसके तहत जैव-उत्तेजकों को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में 'उर्वरक' के रूप में शामिल किया गया है और जैव-उत्तेजकों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए खंड 20 सी के तहत प्रावधान किया गया है।

इन प्रावधानों की समीक्षा की गई है और अधिसूचना एस.ओ. 1963 (अ), दिनांक 8 मई, 2024 के अनुसार नीचे दी गई सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

(i) अब प्रत्येक विनिर्माता अनुसूची VI में निर्दिष्ट किसी भी जैव-उत्तेजक का निर्माण कर सकता है।

(ii) जैव-उत्तेजक की निम्नलिखित नौ श्रेणियों को एफसीओ में शामिल किया गया है;

क. वनस्पति अर्क, जिसमें समुद्री शैवाल अर्क शामिल हैं;
ख. जैव-रसायन;
ग. प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट और अमीनो एसिड;
घ. विटामिन;
ङ. कोशिका मुक्त सूक्ष्मजीव उत्पाद;
च. एंटीऑक्सिडेंट;
छ. एंटी-ट्रांसपिरेंट;
ज. ह्यूमिक और फुल्विक एसिड और उनके डेरिवेटिव्ज;
झ. जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशकों को छोड़कर जीवित सूक्ष्म जीव

(iii) नए जैव-उत्तेजक के मामले में, विनिर्माता को कैमेस्ट्री, बॉयो-इफीकेसी, टॉक्सिकोलॉजी, भारी धातुओं, कीटनाशकों आदि के आंकड़ों के साथ आवेदन करना आवश्यक है।

(iv) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट्स, समुद्री शैवाल (एस्कोफिलम नोडुसम, सारागासम, कप्पाफाइकस, ग्रेसिलेरिया और उल्वा), अमीनो एसिड, विटामिन, ह्यूमिक और फुल्विक एसिड के लिए कोई टॉक्सिकोलॉजी डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(v) कीटनाशक की सीमा 0.01 पीपीएम से बढ़ाकर 1.0 पीपीएम कर दी गई है।

(vi) डेटा के संचय पर जैव-उत्तेजक को श्रेणियों में समूहीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय जैव-उत्तेजक समिति ने एफसीओ की अनुसूची VI में शामिल करने के लिए 11 उत्पादों की सिफारिश की है।

*****